Uploaded on 18/8/2015 RC

S.No.17

RBS No. 3/2015

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 99/RS(G)/779/2

New Delhi, dated 13-8-2015

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Subject: Consideration of offers: Negotiation

Ref: Board's letter No. 99/RS(G)/779/2 dated 22.10.2008

It has come to light that there are instances where in the revised offer given by bidder(s) post negotiation, certain qualificatory remarks such as 'the reduced rate being applicable only if the order placed is for a minimum specified quantity etc.' are being added.

It is clarified that such qualificatory remarks make the negotiated bid conditional and thus modifies the original bid over and above what has been solicited by the purchaser in the negotiation. Hence the following should be incorporated in the bid document and purchase decision taken accordingly:-

"When conducting negotiation, the firm(s) will be informed about the parameter(s) of the original offer on which revision(s) of original offer is/are solicited and his signature taken in token thereof. In the negotiated offer, any variation by the firm(s) on such aspect(s) of offer on which revision was not solicited during negotiation, <u>will render the negotiated offer unfit for consideration</u>."

This is issued with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Railway Stores (G)-I
Railway Board

No. 99/RS(G)/779/2

New Delhi, dated : 13-8-2015

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

AM

for Financial Commissioner / Railways

No. 99/RS(G)/779/2 New Delhi, dated : 13-8-2015

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 99/RS(G)/779/2 New Delhi, dated : 13-8-2015
Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

MR, MOS(R)
CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

रेलवे बोर्ड द्वारा दि० 13-8-2015 को जारी किए गए समसंख्यक पत्र का हिन्दी अनुवाद

आरबीएस सं. 3/2015

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

सं. 99/आरएस(जी)/779/2 **नई दिल्ली, दिनांक** 21-8-2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ. एवं मा.सं./लखनऊ एवं एनएआईआर/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली

विषय: प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वार्ता।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 22.10.2008 का पत्र सं. 99/आरएस(जी)/779/2.

ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां वार्ता के उपरांत बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा दिए गए संशोधित प्रस्तावों में कुछ शर्त बोधक टिप्पणियां जैसे "कम की गई दर तभी लागू होगी जब प्रस्तुत आदेश एक न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए हो आदि" जोड़ी जाती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि शर्त बोधक ऐसी टिप्पणियों से वार्ता द्वारा तय की गई बोली, सशर्त बन जाती है और इस प्रकार वार्ता में क्रेता द्वारा जो मांग की गई थी उससे मूल बोली में परिवर्तन हो जाता है। अत:, बोली दस्तावेज में निम्नलिखित को शामिल किया जाए और तदनुसार खरीद निर्णय लिए जाएं:-

"वार्ता करते समय फर्म (फर्मों) को उस मूल प्रस्ताव के पैरामीटर (पैरामीटरों) के बारे में सूचित किया जाएगा जिन पर मूल प्रस्ताव में संशोधन करने की मांग की गई हो और उसके प्रतीक के रूप में उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। वार्ता के बाद तय प्रस्ताव में यदि फर्म (फर्मों) द्वारा ऐसे पहलू (पहलुओं) के संबंध में ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है, जिनके संबंध में वार्ता के दौरान संशोधन किए जाने की मांग नहीं की गई थी तो ऐसी स्थिति में वार्ता के बाद तय प्रस्ताव को विचार करने योग्य नहीं समझा जाएगा।"

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भण्डार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/779/2 **नई दिल्ली, दिनांक** 21-8-2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/राय बरेली, डीएमडब्ल्यू
3. एडीए(रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 99/आरएस(जी)/779/2 नई दिल्ली, दिनांक 21-8-2015

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/राय बरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला
2. निदेशक-
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
   - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, वडोदरा
   - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
   - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाड़िया सर्किल, उदयपुर

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/779/2 नई दिल्ली, दिनांक 21-8-2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन

2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड